

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

85-8-22

आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलवायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। अतः यह वाद/प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर जिला लेख भण्डार अलवर जमा करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज

